Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 51-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 26, 2018 (CHAITRA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 2018

संख्या 26/3/1995–2Power.– पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958 (पंजाब अधिनियम 1958 का 10) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, बिजली विभाग, अधिसूचना संख्या 26/2/2000–3विद्युत, दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राज्य में 06 अक्टूबर, 2015 को या के बाद स्थापित इंटरपराईजिज प्रमोशन पॉलिसी – 2015 के अनुबंध 10 में यथा विनिर्दिष्ट और हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, अधिसूचना संख्या 49/43/2015–4आईबी1, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में यथा परिभाषित खण्डों की श्रेणी में अवस्थित सभी नई परियोजनाओं को उक्त पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसी यूनिटों को नीचे दी गई सूची अनुसार बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन उद्ग्रहणीय बिजली शुल्क की अदायगी से एक सीमा तक और 5/7/10 वर्षों की अवधि के लिए लोक हित में छूट देते हैंः–

क्र0संख्या	परियोजनाओं के रूप	छूट का परिमाण (बिजली दबाव को छोड़कर)
1	बहुत बड़ी परियोजनाएं	नई बहुत बडी परियोजनाओं पर 5 वर्षों की अवधि के लिए बी और सी श्रेणी खण्ड और 7 वर्षों के लिए डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।
2	बड़ी इकाई	केवल नए उद्यमों पर 5 वर्षों के लिए सी श्रेणी खण्ड और 7 वर्षों के लिए डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।
3	सूक्ष्म लद्यु और मझौले उद्यमों	सभी नए उद्यमों पर 7 वर्षों के लिए बी, सी, और डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।
4	वस्त्र क्षेत्र परिधान बुनाई तकनीकी वस्त्र कढ़ाई	केवल नए उद्यमों पर 10 वर्षों के लिए बी, सी, और डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।

5	एग्रो उद्योगिक और खाद्य प्रसंस्कार क्षेत्र	केवल नए उद्यमों पर 10 वर्षों के लिए बी, सी, और डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।
6	जूते क्षेत्र (चमड़े के प्रसंस्करण को छोड़कर उत्पादों मूल्य संवर्धन)	केवल नए उद्यमों पर 10 वर्षों के लिए बी, सी, और डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।
7	बड़ी सेवा उद्यमों	केवल नए उद्यमों पर 5 वर्षों के लिए सी, और डी श्रेणी खण्ड को 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बी श्रेणी खण्डों बडें उद्यमों पर छूट। जैसा कि ईपीपी 2015 में दर्शाया गया है
8	रक्षा एयरोस्पेस ऑटो घटक इलैक्ट्रोनिक्स रेलवे क्षेत्र	केवल नए उद्यमों पर 10 वर्षों के लिए बी, सी, और डी श्रेणी खण्ड को बिजली का कनैक्शन देने की तिथि से बिजली शुल्क की अदायगी से सौ प्रतिशत छूट।

पी० के० दास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 26th March, 2018

No. 26/3/1995-2Power.— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958 (Punjab Act 10 of 1958) and in supersession of Haryana Government, Power Department, Notification No. 26/2/2000-3Power, dated the 21st September, 2006 the Governor of Haryana hereby exempts in public interest, all new projects as specified in Annexure-10 of Enterprises Promotion Policy, 2015, located in category of Blocks as defined in Haryana Government, Industries and Commerce Department, Notification No. 49/43/2015-4IB1, dated the 6th October, 2015, established in the State of Haryana on or after the 6th October, 2015, from the payment of the Electricity Duty leviable under clause (iii) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act upto the extent and for a period of 5/7/10 years, as specified in ibid Policy, from the date of release of electric connection to such units as per table given below:

Sr. No.	Type of Project	Quantum of Exemption (except Light Load)
1	Mega Projects	100% Exemption from payment of Electricity Duty for new mega project for a period of 5 years in ‘B’ & ‘C’ category blocks and 7 years in ‘D’ category blocks from the date of release of electricity connection
2	Large Units	100% Exemption only for new enterprise for 5 years in ‘C’ category blocks & 7 years in ‘D’ category blocks from the date of release of electricity connection
3	Micro, Small & Medium Enterprises	100% Exemption for 7 years for all new enterprises in ‘B’, ‘C’ & ‘D’ category blocks from the date of release of electricity connection